

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 अप्रैल 2026 — वैशाख 7, शक 1948

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्र.1/396741/2026/229519/MANDI-1/23/2026/Ag.Sec.(T.).— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1241/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2, दिनांक 13.03.2024 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार एतद्वारा, राज्य से गैर-बासमती चावल के देश से बाहर निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, राज्य के अनुज्ञप्तिधारी चावल निर्यातकों/राईस मिलर्स को, राज्य के राईस मिलर्स से ऐसे क्रय किये गये गैर-बासमती चावल, जिसका प्रसंस्करण/विनिर्माण मंडियों के माध्यम से, क्रय धान से किया गया हो, को मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क से इस शर्त के अधीन पूर्णतः छूट प्रदान करती है कि-

राज्य के एकल पंजीयनधारी चावल निर्यातक, निम्न दस्तावेजों के साथ एक घोषणा पत्र संबंधित राईस मिलर्स को प्रदान करेंगे. —

- (एक) एपीडा से जारी रजिस्ट्रेशन-कम-एलोकेशन सर्टिफिकेट;
- (दो) कार्गो ओरीजिन (छत्तीसगढ़) के उल्लेख सहित शिपिंग बिल;
- (तीन) निर्यात के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का माल एवं सेवा कर पंजीयन;
- (चार) लदान बिल;
- (पाँच) संबंधित राईस मिलर्स द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार जारी अनुज्ञा पत्र।

उक्त घोषणा पत्र में निर्यातक का नाम, आईसीसी क्रमांक, एपीडा से पंजीयन विवरण, रजिस्ट्रेशन-कम-एलोकेशन सर्टिफिकेट क्रमांक, निर्यात उपज का नाम, मात्रा, कीमत तथा गंतव्य स्थान का नाम सम्मिलित होगा।

राज्य के संबंधित राईस मिलर्स को छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से, संबंधित मंडी का उक्त घोषणा पत्र संलग्न कर उसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होगा।

यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 अप्रैल 2026

क्र. I/396741/2026/229519/MANDI-1/23/2026/Ag.Sec.(T.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक I/396741/2026 रायपुर दिनांक 27-04-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 27th April 2026

NOTIFICATION

No. I/396741/2026/229519/MANDI-1/23/2026/Ag.Sec.(T.).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), and notwithstanding anything contained in Notification No. 1241/D-15/116/part-2/2004/14-2 dated 13.03.2024 of this Department, the State Government hereby, with a view to promote export of non-basmati rice from the State to outside the country, provides complete exemption from Mandi Fee and Farmers Welfare Fee to licensed rice exporters/rice millers of the State in respect of such non-basmati rice purchased from rice millers of the State, processed/manufactured from paddy procured through Mandis, subject to the condition that-

The single registered rice exporters of the State shall provide a declaration along with following documents to the concerned rice millers:-

- (i) The Registration-cum-Allocation Certificate issued by APEDA;
- (ii) Shipping bill with mention of Cargo origin (Chhattisgarh);
- (iii) Goods and Services Tax Registration of Chhattisgarh for export,
- (iv) Bill of lading;
- (v) Permit issued by the concerned rice miller in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

The said declaration form shall include the name of exporter, IEC number, APEDA registration details, Registration-cum-Allocation Certificate number, name of export produce, quantity, value, and name of destination.

The concerned rice millers of the State shall have to submit the above declaration along with attached documents with the concerned Mandi for the purpose of availing the exemptions.

This notification shall remain effective for a period of one year from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS MISHRA, Deputy Secretary.